

28.7.22

पतावली पेश हुई। कमील पद्मनाभम
अनुपस्थित। कमील प्रार्थी एवं प्रार्थी तथा कमील
अप्रार्थी गठान अप्रार्थी गठान को न्यायालय समक्ष
तब वार वार आना जलगावाई गई। लेकिन
कोई उपाधि नही हुई है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्थात् निवेदन
अन्तर्गत धारा 212 रा. टी. ऐ. अन्तर्गत आदेश 09 -
निगम 03 जलद्वत अदम शहरी अदम परवी में
निवेदन किया जा रहा है पतावली केसल शुभाह्वेकर
गठान से काम होना दाखिल दफ्तर हो। निवेदन
पुल न्यायालय में सुनाया गया

उपर्युक्त अधिकारी
साँभर लेक

